न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा

मिसल नम्बर 11 /2025

उनवान

1. महावीर प्रसाद पुत्र रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी पीपल्दा

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय प्रार्थना पत्र ::–

दिनॉक 7 /04/2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी महावीर प्रसाद पुत्र रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी पीपल्दा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके नाम पर ग्राम ग्राम ख्यावदा में ख.न. 925 रकबा 2.0 हे. किस्म नहरी प्रथम भूमि दर्ज है जिसमें पूर्व में प्रार्थी की वल्दीयत रघुनाथ दर्ज थी जिसे इन्द्राज दुरूस्ती के द्वारा जरिये इन्तकाल नम्बर 1449 दिनॉक 12.6.2015 से रघुनाथ के स्थान पर रघुनन्दन किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रार्थी के नाम पर ग्राम खेड़ली पीपल्दा में भी खसरा नम्बर 358 रकबा 0.20 हे. भूमि दर्ज है जिस पर अभी भी प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ दर्ज है। एक ग्राम के भूमि के खाते में प्रार्थी के पिता का नाम जरिये इन्द्राज दुरूस्ती सही दर्ज किया जा चुका है तथ एक अन्य ग्राम खेड़ली पीपल्दा में प्रार्थी के पिता का नाम अशुद्व दर्ज है जिसे शुद्व किया जाकर रघुनाथ के स्थान पर रघुनन्दन किया जावे।

अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा स्वयं के शपथपत्र के अतिरिक्त ग्राम ख्यावदा की जमाबन्दी 2070–73 खाता नम्बर 309 मय नोट नामान्तरकरण 1449 , खेड़ली पीपल्दा की जमावन्दी सम्वत् 2071–74 खाता नम्बर 96, ग्राम खेड़ली पीपल्दा की जमाबन्दी हाल खाता नम्बर 100 तथा आधार कार्ड नम्बर 389969263741 की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पैरोकार सरकार द्वारा ग्राम ख्यावदा की भूमि खसरा नम्बर 925 तथा ग्राम खेड़ली पीपल्दा की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

खसरा नम्बर 358 का एक ही खातेदार होने तथा ग्राम ख्यावदा की भूमि के समान ही ग्राम खेड़ली पीपल्दा की भूमि पर प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ के स्थान पर रघुनन्दन सही दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

जवाब प्राप्त कर शामिल मिसल किया जाकर पक्षकारों को सुना गया। पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब के कथनों को दोहराया। बाद बहस प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन, वर्णित तथ्य, कथनों के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का सम्यक अनुशीलन परीक्षण के उपरान्त यह पाया जाता है कि पूर्व में ग्राम ख्यावदा की भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 2.80 पर प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ दर्ज था जिसे जर्ये इन्द्राज दुरुस्ती इन्तकाल नम्बर 1449 दिनांक 12. 06.2015 से रघुनाथ के स्थान पर रघुनन्दन दर्ज किया जा चुका है। ग्राम खेड़ली पीपल्दा की भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.20 हैक्टर पर अभी भी प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ ही दर्ज है।

हस्व जवाब पैरोकार सरकार ग्राम ख्यावदा की भूमि खसरा नम्बर 925 एवं ग्राम खेडली पीपल्दा की भूमि खसरा नम्बर 358 का एवं ही खातेदार है तथा पैरोकार सरकार द्वारा ग्राम खेडली पीपल्दा की भूमि पर रघुनाथ के स्थान पर रघुनन्दन किये जाने हेतु अभिशषा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम खेडली पीपल्दा की भूमि खसरा नम्बर 358 पर प्रार्थी की वल्दीयत रघुनाथ के स्थान पर रघुनन्दन दर्ज की जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील एवं तरमीम फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Ramniwas
(रामनिवास मेहता)
उपखण्ड अधिकारी इटावा
उपखण्ड अधिकारी इटावा

निर्णय आज दिनांक 7/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

Ramniwas
(रामनिवास मेहता)
उपखण्ड अधिकारी इटावा
उपखण्ड अधिकारी इटावा